| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**डी.आर. मेघवाल बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)**<br>सू.अ.अ. अपील संख्या : 44/2022 | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.04.2022 | अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम निवासी ग्राम सरेचां, बस स्टैण्ड के पास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.12.2021 में (1) दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान करवाए गए कार्यों का ब्यौरा (2) प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रार्थना पत्र/शिकायतों आदि दर्ज करने के रजिस्टरों का ब्यौरा व अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधितों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested